



Neutral Citation No. - 2026:AHC:5029

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 294 वर्ष 2026

नीलेश उर्फ सैलेश यादवआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : राम प्रवेश यादव, शशांक कुमार

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शा.अधि.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई।
2. श्री शशांक कुमार, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक की ओर से, तथा श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, विद्वान राज्य विधि अधिकारी की सुनवाई की गई एवं अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का भी परिशीलन किया गया।
3. आवेदक, मुकदमा अपराध संख्या 195 वर्ष 2025, धाराएँ 103(1), 351(3), 352 बीएनएस, थाना - खुटहन, जिला - जौनपुर, के अंतर्गत विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत चाहता है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है तथा वर्तमान प्रकरण में उसे असत्य रूप से फँसाया गया है। प्राथमिकी में आरोपित अपराध से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। मृतक की मृत्यु का कारण उसके सिर पर लगी चोट थी। उक्त चोट धारदार हथियार से नहीं हो सकती जो आवेदक को सौंपा गया है, अतः वह जमानत का अधिकारी है।
5. विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी तर्क दिया कि सह-अभियुक्त सुरेन्द्र @ सुखाई को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 7.1.2026 को सी.एम.बी.ए. संख्या 44666 वर्ष 2025 में पारित आदेश द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि चूँकि आवेदक का प्रकरण उस सह-अभियुक्त के समतुल्य है जिसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, अतः वह भी समानता के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने का अधिकारी है। आवेदक दिनांक 13.07.2025 से जेल में निरुद्ध है तथा उसके नाम पर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।

6. इसके विपरीत, विद्वान राज्य विधि अधिकारी ने जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया, किन्तु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाये गये निवेदन तथा यह तथ्य कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, को विवादित नहीं कर सके।
7. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किये गये निवेदन, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य, लंबित विचारण तथा इस न्यायालय द्वारा नन्हा पुत्र नब्हन खाँ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 Cri.L.J. 938 में पारित निर्णय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारस राम विश्नोई बनाम निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, MANU/SCOR/22410/2021 में पारित निर्णय तथा सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य, (2022) 10 एससीसी 51 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में विचार करने पर, प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, न्यायालय का विचार है कि आवेदक इस प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने का अधिकारी है। जमानत आवेदन समानता के आधार पर स्वीकार किया जाता है।
8. आवेदक - नीलेश उर्फ सैलेश यादव, जो उपर्युक्त अपराध मामले में संलिप्त है, को सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका तथा प्रत्येक समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाये।
 - i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों को दबाव में नहीं लायेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा।
 - iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष नियत तिथि पर उपस्थित होगा।
9. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

जनवरी 8, 2026

सिद्धान्त

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।